न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 03 सन 2022
अनवान :–

1. जयलाल पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अराल अप्रार्थी

2. बलवन्त पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. मामराज पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. राजेराम पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. धापादेवी पत्नी केसराराम जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
6. सुनिता पुत्री केसराराम जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
7. प्रदीप कुमार पुत्र केसराराम जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
8. ममता पुत्री केसराराम जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 17.12.2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 312/292 की कुल 3.1740हैक्ट भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण फुलाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम मनफुल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पिता का नाम मनफुल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 312/292 की कुल 3.1740हैक्ट भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम फुलाराम के स्थान पर मनफुल संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेशकार राज उपस्थित आकर जबाव पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 312/292 की कुल 3.1740हैक्ट व रोही मौजा चक मेघसिहपुरा के खाता संख्या 48/47 की कुल 2.5160हैक्ट व खाता संख्या 47/46 की कुल 3.5410हैक्ट भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण फुलाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम मनफुल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी मे प्रार्थी के पिता का नाम मनफुल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 312/292 की कुल 3.1740हैक्‍ट व रोही मौजा चक मेघसिहपुरा के खाता संख्या 48/47 की कुल 2.5160हैक्‍ट व खाता संख्या 47/46 की कुल 3.5410हैक्‍ट भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 खातेदार काश्कार दर्ज है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसके पिता का सही नाम मनफुल है यही नाम अन्य दस्तावेजात मे भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पिता का नाम मनफुल है प्रार्थी के नाम के सम्बध में सरपंच ग्राम पचायत की तस्दीक भी पेश की गई है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार /सरपंच की अभिशषां के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /सरपंच एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 312/292 की कुल 3.1740हैक्‍ट भूमि में फुला वल्द पन्ना के स्थान पर फुला उर्फ मनफुल पुत्र पन्ना एव रोही मौजा चक मेघसिहपुरा के खाता संख्या 48/47 की कुल 2.5160हैक्‍ट व खाता संख्या 47/46 की कुल 3.5410हैक्‍ट भूमि में जयलाल पुत्र फुलाराम के स्थान पर जयलाल पुत्र फुलाराम उर्फ मनफुल , बलवन्त पुत्र फुलाराम के स्थान पर बलवन्त पुत्र फुलाराम उर्फ मनफुल , मामराज पुत्र फुलाराम के स्थान पर मामराज पुत्र फुलाराम उर्फ मनफुल , राजेराम पुत्र फुलाराम के स्थान पर राजेराम उर्फ रजीराम पुत्र फुलाराम उर्फ मनफुल केसराराम पुत्र फुलाराम के स्थान पर केसराराम पुत्र फुलाराम उर्फ मनफुल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/2/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2022 / 556 दिनांक :– 22/02/22

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 03 / 2022 अनवानी जयलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. जयलाल पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल अप्रार्थी

2. बलवन्त पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. गामराज पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. राजेराम पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. धापादेवी पत्नी केसराराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
6. सुनिता पुत्री केसराराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।
7. प्रदीप कुमार पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. गमता पुत्री केसराराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 03 / 2022 अनवानी जयलाल बनाम सरकार में दिनांक 17/02/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 312 / 292 की कुल 3.1740हैक भूमि में फुला वल्द पन्ना के स्थान पर फुला उर्फ मनफुल पुत्र पन्ना एव रोही मौजा चक मेधसिहपुरा के खाता संख्या 48 / 47 की कुल 2.5160हैक व खाता संख्या 47 / 46 की कुल 3.5410हैक भूमि में जयलाल पुत्र फुलाराम के स्थान पर जयलाल पुत्र फुलाराम उर्फ मनफुल , बलवन्त पुत्र फुलाराम के स्थान पर बलवन्त पुत्र फुलाराम उर्फ मनफुल , मागराज पुत्र फुलाराम के स्थान पर मामराज पुत्र फुलाराम उर्फ मनफुल , राजेराम पुत्र फुलाराम के स्थान पर राजेराम उर्फ रजीराम पुत्र फुलाराम उर्फ मनफुल केसराराम पुत्र फुलाराम के स्थान पर केसराराम पुत्र फुलाराम उर्फ मनफुल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner